

कार्यकारी निदेशक

बियाडा के निदेशक पर्सद की 53वीं बैठक दिनांक 26.06.2018 की कड़िका अन्यान्य (1) में औद्योगिक इकाईयों के उत्पाद एवं शेयर परिवर्तन के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये गए है:-

1. यदि कोई इकाई उत्पाद में परिवर्तन निवर्तमान उद्योग नीति के उसी Priority Sector में करना चाहती है, जिसमें वह पहले से ही कार्यरत है अर्थात् Food Processing Sector में कार्यरत है और Food Processing Sector का ही different उत्पाद बनाना चाहती है तो so long नया उत्पाद CPCB(Central Pollution Control Board) के Classification के अनुसार Same Category में है तो केवल उत्पाद परिवर्तन शुल्क के साथ मात्र सूचना देगी।
2. यदि किसी इकाई के शेयर में 49 प्रतिशत तक का परिवर्तन किया जाता है तो वैसी स्थिति में इकाई को बियाडा से पुर्वानुमति लेने के बजाय शुल्क के साथ 30 दिन पूर्व बियाडा को सूचना मात्र देनी होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाये

प्रबंध निदेशक का आदेश

दिनांक 28.07.2018

[Signature]
28/7/18
कार्यकारी निदेशक।

दिनांक:- 28/07/18

ज्ञापांक:- 4163/D

प्रतिलिपि:- कार्यकारी निदेशक, बियाडा क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर/ मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, बियाडा/ विधि पदाधिकारी, बियाडा/ वरीय लेखा पदाधिकारी, बियाडा/ आई.टी. पदाधिकारी, बियाडा/ प्रभारी, प्र.नि. कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

016

[Signature]
28/7/18
कार्यकारी निदेशक।